न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी रतन लाल योगी आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 03/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर		श्री रजत पुत्र श्री जसवंत जाति–माथुर, निवासी 11/1 जी सेक्टर शास्त्री नगर, जोधपुर फर्म–क्रॉस रोड़ रेस्टोरेन्ट, पीडब्ल्यू सर्किल, रातानाडा, जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थितिः –
1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री मानवेन्द्र, प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर उपस्थित।
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 25.06.2024

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी श्री रजत पुत्र श्री जसवंत, जाति माथुर, निवासी 11/1 जी सेक्टर, शास्त्री नगर जोधपुर फर्म क्रॉस रोड़ रेस्टोरेन्ट, पीडब्ल्यू सर्किल, रातानाडा जोधपुर के विरूद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 04 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों को राज्यसात करने हेतु श्रीमान् जिला कलक्टर, जोधपुर को पेश किया गया। श्रीमान् जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा यह प्रकरण दिनांक 10.01.2023 को सुनवाई के लिए इस न्यायालय को प्रेषित किया गया जिसको दिनांक 16.01.2023 को दर्ज किया जाकर पक्षकारों को सुना गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21.12.2022 को जिला प्रवर्तन अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा क्रॉस रोड रेस्टोरेन्ट, पीडब्ल्यू सर्किल, रातानाडा, जोधपुर की आकस्मिक जांच करने पर उपस्थित व्यक्ति ने अपना नाम रजत पुत्र श्री जसवंत माथुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Yogi
Date: 2024.08.29 16:07:54 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

बताया एवं दुकान में इण्डेन के 03 व एच.पी. का 01 कुल 04 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर पाए गए। प्रतिष्ठान पर 19 कि.ग्रा. के व्यावसायिक गैस सिलेण्डर गैस एजेन्सी द्वारा जारी किये गये कनेक्शन से ज्यादा उपयोग में लिए जाना पाया गया जिसका विवरण इस प्रकार है:-

क्र. स.	गैस कम्पनी का नाम	एस.आर.नम्बर	सिलेण्डर का वजन	कुल वजन	गैस का वजन (किलो में)
1.	इण्डेन	067380	19.0 कि.ग्रा.	19.0 कि.ग्रा.	0.00 कि.ग्रा.
2.	इण्डेन	010824-S	19.2 कि.ग्रा.	19.2 कि.ग्रा.	0.00 कि.ग्रा.
3.	इण्डेन	009102-S	19.2 कि.ग्रा.	19.2 कि.ग्रा.	0.00 कि.ग्रा.
4.	एच.पी.	--	19.3 कि.ग्रा.	19.3 कि.ग्रा.	0.00 कि.ग्रा.

उक्त 04 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया जाकर प्रतिनिधि वीर शिव गैस सर्विस, रातानाडा के मैनेजर श्री मोहनसिंह पुत्र श्री विरेन्द्रसिंह को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार मौके पर गैस एजेन्सी द्वारा जारी किए गये कनेक्शन से ज्यादा व्यावसायिक गैस सिलेण्डर पाये गये व अप्रार्थी द्वारा व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण कर उपयोग में लिया जा रहा था जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त 04 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण में प्रार्थी विभागीय पेरोकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री मानवेन्द्र प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वक्त जांच प्रतिष्ठान पर अप्रार्थी द्वारा मौके पर 19 कि.ग्रा. के 04 व्यावसायिक सिलेण्डरों का गैस एजेन्सी द्वारा जारी किये गए कनेक्शन से ज्यादा का उपयोग किया जा रहा था, ऐसी स्थिति में मौके पर कनेक्शन से ज्यादा व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों का पाया जाने व सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण कर उपयोग में लिया जाने से अप्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है जिसके कारण जब्त उक्त 04 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

हमने विभागीय पेरोकार की बहस पर मनन एवं प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार अप्रार्थी प्रतिष्ठान पर वक्त जांच मौके पर गैस एजेन्सी द्वारा जारी गैस कनेक्शन से अधिक व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों का पाया जाना स्पष्ट करता है कि अप्रार्थी द्वारा व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Yogi
Date: 2023.08.29 16:37:54 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

का अवैध भण्डारण कर उपयोग किया जा रहा था जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तसुदा उक्त 04 (चार) व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि जब्तसुदा 04 (चार) व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन लाल योगी)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय),
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Yogi
Date: 2024.08.29 16:07:54 IST
Reason: SelfAttested